मंदिरों की सुरक्षा व मूर्ति खंडित करने वालों की हो शीघ्र गिरफ्तारी

अजमेर, (कासं)। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने सोमवार को चन्द्रमोली महादेव मंदिर में हनुमानजी की मूर्ति खंडित करने की घटना पर रोष जताते हुए मंदिरों की सुरक्षा व मूर्ति खंडित करने वाले असामाजिक तत्वों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि 26 अक्टूबर को असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा को तोड़ कर खंडित कर दिया था।

विहिप ने कहा कि हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं आहत हुई है, ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

एसपी को ज्ञापन देने पहुंचे विहिप के पदाधिकारी।

■ **विश्व हिंदू परिषद ने एसपी को सौंपा ज्ञापन**

एसपी वंदिता राणा को दिए ज्ञापन में विहित के पदाधिकारियों ने मंदिरों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में स्थित सभी मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विशेष रूप से दरगाह बाजारए लोंगिया मोहल्ला और देहली गेट क्षेत्रों के मंदिरों की सुरक्षा पुख्ता करने की मांग की है। नेताओं का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी हैं और इसके मद्देनजर मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि धार्मिक भावनाओं को आहत होने से रोका जा सके।

घुसपैठियों की हो जांच:

विहिप ने ज्ञापन में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की भी जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि ये लोग फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाकर इन क्षेत्रों में रह रहे हैं। इन सभी दस्तावेजों की गहन जांच कराई जाए और जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज नहीं हैं,उन्हें बाहर निकाला जाए। विहिप ने दरगाह बाजार और आसपास के क्षेत्रों में संचालित अवैध गेस्ट हाउसों में चल रही अवैध गतिविधियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि इन गेस्ट हाउसों में नशे और अनैतिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है। विहिप ने प्रशासन से इन गेस्ट हाउसों की जांच करने और अवैध गतिविधियों को रोकने की मांग की है।

गंगापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई,

भीलवाड़ा। जिले की गंगापुर थाना पुलिस ने अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुएं 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर 8 अवैध पिस्टल मय 23 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गंगापुर पुलिस उप अधीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार अवैध हथियार की तस्करी करने वाले आरोपीयों के विरुद्ध चलाएं जा रहे अभियान के तहत गंगापुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार अवैध हथियार तस्करी करने वालें आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों के कब्जे से गंगापुर पुलिस ने आठ अवैध पिस्तौल व 23 जिंदा कारतूस बरामद किए। आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। टीम में शामिल फूलचन्द थानाधिकारी, एएसआई रेवत सिंह, कैलाश चन्द्, नारायणलाल, आशीष मिश्रा सउनि इन्चार्ज साईबर सैल, कांस्टेबल गोपालराम, रवि कुमार, गोपाल सिंह, सुरेश कुमार, सुरेन्द्र कुमार, बजरंग इस टीम ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले शिवलाल पिता शंकरलाल जाट उम्र 23 साल निवासी जोर थाना आमेट, मुकेश पिता रोशनलाल जाट उम्र 31 साल, लादुलाल उर्फ लादेन पिता नानुराम कुमावत उम्र 36 साल निवासी गाडरीखेडा थला थाना रायपुर, चंदन उर्फ चन्दु पिता पदमाराम जेवलिया जाति 1 पिस्टल जाट उम्र 19 साल निवासी कुणी चौलसा थाना नावा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आमजन के विश्वास अपराधियों के डर के स्लोगन को सार्थक करने के लिए अपराधियों की शहर में परेड निकाली।

भीलवाडा। जिले की हमीरगढ़ थाना पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्करो के खिलाफ की बडी कार्यवाही करते हुएं हरियाणा निर्मित अवैध अठोजी शराब/बीयर के कुल 280 कार्टुन के साथ एक कन्टेनर को जब्त कर दो अभियुक्त को किया गिरफ्तार। जब्तशुदा शराब कि अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रूपये।धर्मेन्द्र सिंह आई.पी.एस. पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा द्वारा अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब, व अवैध हथियार की धरपकड हेतु निर्देशित किया गया, पारस जैन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, भीलवाडा के निर्देशन व श्याम सुन्दर वृत्ताधिकारी, वृत्त सदर भीलवाडा के निकटतम सुपरविजन में दिलीप सिंह उ.नि. थानाधिकारी, थाना हमीरगढ के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा 27.10.2024 को दिलीप सिह उनि थानाधिकारी थाना हमीरगढ को कानि. विशम्बर दयाल न. 965 ने जरीये मोबाईल बताया की एक कन्टेनर ट्रक रजि0न0 01 4548 जो की भीलवाडा की तरफ से चित्तोडगढ की तरफ आ रहा है जिसमें अवैध शराब होने की शंका है। उक्त सूचना पर थानाधिकारी व गठित पुलिस टीम एनएच 48 न्यु गिल पंजाब होटल के पास सरहद तख्तपुरा पहुँच नाकाबन्दी प्रारम्भ की।

आरजेएस में चयन होने पर सुदर्शन पुरोहित का स्वागत,

मदनगंज-किशनगढ़,(निस)। किशनगढ़ बार एसोसिएशन ने न्यायिक सेवा आरजेएस में चयन होने पर सुदर्शन पुरोहित का स्वागत अभिनन्दन किया। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम मनोहर पुरोहित के पुत्र सुदर्शन पुरोहित के चयन पर बार के नवीन कक्ष में जश्न मनाकर हर्ष व्यक्त किया। अध्यक्ष दीपक खटाणा व सचिव गोवर्धन सिंह राठौड़ व पूर्व अध्यक्ष शिव धाभाई ने कहा गौरव का विषय है किशनगढ़ के युवा एडवोकेट का न्यायिक सेवा में चयन हुआ है।

उपाध्यक्ष सोमदत्त पुरोहित, कोषाध्यक्ष महेश मालाकार, मीडिया प्रभारी प्रमोद शर्मा, सुरेश गोडेश्वर, प्रवक्ता गोवर्धन नाथ बिदावत, पुस्तकालयाध्यक्ष सिकन्दर खान, वरिष्ठ अभिभाषक रविकांत शर्मा, राकेश शर्मा, दिनेश जाट, महेंद्र पाटनी, नरेन्द्र बिड़ला, नवीन बैरवा, राजेन्द्र आचार्य, प्रतिक मेहता, रतनलाल चौधरी, रुपेश शर्मा, सिराजुद्दीन हनफी, हनुमान प्रसाद शर्मा, मोहम्मद युसूफ, डॉ. रामदेव गुर्जर, विजेन्द्र सिंह राठौड़, मोहम्मद हुसैन माजवी, किशोर सिंह खंगारोत, शरद पारीक, परमानंद शर्मा, विश्राम चौधरी, पदमराज सैनी, राजेन्द्र शर्मा, शिवराज सिंह, राजेन्द्र नुवाद, राधेश्याम मालाकार, मोहम्मद युनुस देशवाली, तेजेन्द्र सिंह, उमराव चौधरी, रामेश्वर चौधरी, गजराज सिंह, हिम्मत सिंह, राजेश गुर्जर, विशाल व्यास, दीपक दाधीच, सुदीप सिंह तंवर, देवकरण गुर्जर, जगदीश गौरा, संजयराज, जटाशंकर तिवारी आदि उपस्थित रहे। सुदर्शन के साथ पिता श्याम मनोहर पुरोहित का भी माल्यार्पण कर स्वागत किया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संदीप आनंद व मुंसिफ मजिस्ट्रेट राहुल शर्मा ने भी सुदर्शन पुरोहित का न्यायिक सेवा में चयन होने पर पर खुशी जताई।

आयुक्त कीर्ति कुमावत ने पुष्कर सरोवर के घाटों का किया निरीक्षण

पुष्कर, (निसं)। पुष्कर नगर परिषद की सभापति कीर्ति कुमावत ने कार्तिक मेले की व्यवस्थाओं को लेकर आज पुष्कर सरोवर के 52 घाटों का मौका निरीक्षण कर संबंधित पालिका के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा परिक्रमा मर्ग में बाह रहे सीवरेज के पानीयुक्त के निदान का आश्वासन दिया। कीर्ति कुमावत ने घाटों के निरीक्षण के दौरान नगर परिषद के सहायक अभियंता मुकेश चौहान, कनिष्ठ अभियंता रामनिवास मीणा, वरिष्ठ लिपिक योगेश शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी लोकेंद्र सिंह के सानिध्य में सरोवर के घाटों का निरीक्षण कर घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए इसके अलावा घाटों पर खास तौर पर साफ सफाई के लिए संबंधित अधिकारियों को पाबंद किया।

■ **-परिक्रमा मार्ग में बह रहे सीवरेज के पानी के निदान का आश्वासन दिया**

निरीक्षण करते हुए उपायुक्त व परिषद के अधिकारी ।

डायटिशियनसाक्षी डॉट कॉम का शुभारंभ

अजमेर, (कासं)। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर की एंटरप्रिन्योर डॉ साक्षी के नवीन उपक्रम डायटिशियनसाक्षी डॉट कॉम का लैपटॉप पर बटन दबाकर शुभारंभ किया।

अजमेर के सर्किट हाउस में एक सादा समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने डॉ साक्षी भारद्वाज एवं उनके पति नितेश भारद्वाज को शुभकामनाएं प्रेषित की। देवनानी के कहा कि डॉ साक्षी भारद्वाज का यह प्रयास नई पीढ़ी के लिए स्वयं को स्वस्थ एवं निरोगी रखने में बेहद सुखद एवं सार्थक साबित होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में युवा पीढ़ी के पास सब कुछ होते हुए भी स्वयं के शरीर के लिए स्वयं नहीं होता, खास तौर से युवा व कामकाजी महिलाएं खुद को फिट और हिट रखने के लिए समय नहीं दे पाती। डायटिशियन साक्षी डॉट कॉम उन्हें आनलाइन आहार और विचार व व्यवहार की सभी सलाहें देकर युवा पीढ़ी को स्वस्थ और निरोगी रख पाने में सार्थक होगा। गौरतलब है कि इस शुभ अवसर पर राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने भी शुभकामनाएं प्रेषित कीं। उल्लेखनीय है कि डॉ. साक्षी पाठक को आहार और पोषण के क्षेत्र में 14 से अधिक वर्षों का अनुभव है, डायटिशियनसाक्षी डॉट कॉम उन लोगों के लिए एक समर्पित मंच है जो विज्ञान आधारित पोषण सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। यह प्लेटफॉर्म स्कूलों, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, हृदय रोगियों और वजन प्रबंधन करने वालों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान करता है।

शुभारंभ पर डॉ. साक्षी पाठक ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी का समर्थन और उपमुख्यमंत्री बैरवा जी की शुभकामनाएं पाकर मैं अभिभूत हूँ। डायटिशियनसाक्षी डॉट कॉम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह लोगों को स्वस्थ जीवनशैली के विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करे और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। हमारा लक्ष्य सभी को सुलभ और प्रमाणिक पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करना है।' अपने अनूठे दृष्टिकोण के साथ, डायटिशियनसाक्षी डॉट कॉम एक विश्वसनीय और विशेषज्ञ पोषण मार्गदर्शन का स्रोत बनने के लिए तैयार है।

'ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया,

मदनगंज-किशनगढ़,(निस)। विधायक डॉ विकास चौधरी ने ग्रामीण क्षेत्रों का सघन दौरा कर चौपाल पर विभिन्न समस्याओ का समाधान किया। अंराई उपखंड मुख्यालय सहित अनेक गांवो में मुलभुत सुविधाओ से वंचित लोग चौपाल में पहुंचे और राहत के लिये अपना पक्ष रखा। उन्होंने तत्काल संभाधित अफसरों से बात कर कई समस्याओ का मौके पर ही निस्तारण कराया। हालांकि अधिकतर लोग पानी बिजली व्यवस्था से आहत नजर आये। विधायक ने आश्वस्त किया की इसके लिये सार्थक प्रयास निरंतर जारी है, विधानसभा में भी ध्यान आकर्षित किया जायेगा। साथ ही उन्होंने डीडंवाडा,भोगादीत, गागुंदा, मोतीपुरा, झीरोता, आकोडिया, मौजूद रहे।

जागरूकता बढ़ाने हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित

भीलवाडा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा युवाओं के लिए निर्मित माय भारत पोर्टल के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 30 अक्टूबर तक 'यह दीवाली माय भारत वाली' विषय के अंतर्गत देश भर में स्वैच्छिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत तीन मुख्य गतिविधियां चयनित की गई हैं, जिसमें बाजारों की सफाई, अस्पतालों में रोगियों की मदद तथा यातायात पुलिस को सहायता करना गतिविधियां शामिल होंगी।सोमवार को युवा स्वयंसेवकों की टीम ने यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस पहल के अंतर्गत, स्वयंसेवकों ने शहर के विभिन्न स्थानों पर यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे लोगों को गुलाब का फूल देकर समझाइश की। इस दौरान, स्वयंसेवकों ने लोगों को यातायात नियमों का महत्व समझाया और उन्हें सुरक्षित ड्राइविंग की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में उपस्थित यातायात पुलिस की टीम को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने सड़क सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाई। शुभम ओझा ने युवा दल का नेतृत्व करते हुए बताया कि उनका लक्ष्य लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाना और सड़क पर सुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा देना है। इस प्रयास की स्थानीय समुदाय में सराहना की जा रही है, और उम्मीद जताई जा रही है।

रेलवे अस्पताल का एनडब्लयूआर के महाप्रबंधक ने लिया जायजा

अजमेर, (कासं)। उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल के रेलवे अस्पताल का सोमवार को उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अस्पताल की विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए नई सुविधाओं का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक ने नवनिर्मित बहिरंग दवा वितरण केंद्र का भी उद्घाटन किया, जिससे रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा।

निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने अस्पताल में उपलब्ध व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए मरीजों से संवाद कर अस्पताल में चल रहे उपचार और देखभाल सेवाओं के बारे में जानकारी ली। अस्पताल के विभिन्न वार्डों और आईसीयू का निरीक्षण करते हुए उन्होंने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ चर्चा की और उन्हें अत्याधुनिक सुविधाएं और संसाधनों की उपलब्धता के लिए सुझाव भी दिए। महाप्रबंधक ने बताया कि रेलवे अस्पताल में आईसीयू जैसी सुविधाओं का विस्तार रेलवे कर्मचारियों और उनके परिजन को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।

■ **अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, सुविधाओं का विस्तार किया जाए**

अस्पताल का निरीक्षण करते महाप्रबंधक।

70 स्पेशल ट्रेनों का संचालन:

महाप्रबंधक ने कहा कि दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर रेलवे द्वारा यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए 70 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। त्यौहार के मद्देनजर यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, जिसके चलते लगातार स्थिति की निगरानी की जा रही है ताकि यात्रियों की यात्रा सुविधाजनक और सुरक्षित रहे। रेलवे प्रशासन द्वारा स्टेशनों पर विशेष व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं ताकि त्योहार के समय यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

दीपोत्सव पर्व के स्वागत में सजे बाजार

मसूदा,(निसं)। दीपावली के पर्व को लेकर बाजार में चहल-पहल पर बढ़ गई है। व्यापारी व दुकानदार बाजार को सजाने में जुटे हैं। दीपावली पर्व को लेकर उपखंड क्षेत्र के बाजारों में चहल-पहल और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ गई है। खरीदारों के लिए व्यापारियों ने बाजार को आकर्षक झालर और लड़ियों से सजाया है।

सुबह और शाम व्यापारियों को बेहतर कारोबार की उम्मीद है। धनतेरस के लिए विभिन्न दुकानों में भी स्टॉक भारत नजर आया। मिट्टी की दीयों, झालर और बिजली की लडियों की भी जमकर दुकान साजी है। व्यापारियों ने बताया कि धनतेरस और दीपावली पर अच्छे व्यवसाय की उम्मीद है बताया है कि ऑनलाइन खरीदारी से बाजार पर असर पड़ा है, जिसके लिए व्यापार संघ विभिन्न माध्यमों से लोगों को दुकान से खरीदारी के लिए प्रेरित भी कर रही है। उन्होंने लोगों से बाजार में दुकानों से एक खरीदारी की अपील की है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने में आने वाली अमावस्या पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है जो हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार में से एक है इस साल दीपावली पर्व की सही तारीख को लेकर काफी संशयकी स्थिति बनी हुई है। पंचांग के अनुसार और ज्यादातर विद्वानों के अनुसार इस बार दीपावली का पर्व गुरुवार 31 अक्टूबर के दिन मानना अधिक उत्तम माना जा रहा है।

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री प्रेम सिंह रावत पुत्र श्री प्रभु सिंह रावत, जाति रावत, निवासी- तेजाजी का मौहल्ला, बुबानी, अजमेर जो कि मेरे पक्षकार द्वारा श्री प्रभु सिह पुत्र स्व. श्री छोटू सिंह, निवासी तेजाजी का मौहल्ला, बुबानी, अजमेर से उनकी एक सम्पति जो कि प्रभु सिंह को सोनी उर्फ सोन्या पुत्र स्व. श्री मोती की वसीयत दिनांक 12.06.1976 से प्राप्त हुई है, के खसरा नम्बर 1591 वर्किंग खसरा नम्बर 1610 तथा आधार खसरा नम्बर 2585, 2591/3375 एंव 2608 का 1/8 हिस्सा तथा 1610 के आधे हिस्से मे प्राप्त अधिकार को क्रय करने का इकरार किया गया है यदि उक्त सम्पति के खरीद व बेचान से सम्बधित किसी भी व्यक्ति, बैंक संस्था को कोई आपति है तो प्रकाशन के दिनांक से आगामी 7 दिवस के अंदर अपनी आपति मुझ अधिवक्ता को लिखित मे देकर सूचित करे, बाद मियाद आपति अमान्य मानी व समझी जायेगी।

भवदीय
कपिल रोहिल्ला (एडवोकेट)

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राज.

क्रमांक/न.प.कि/कृ.भूमि/2024/551 दिनांक: 07-10-2024

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा संख्या 698, 700/2 पर स्थित आवासीय (भूखण्ड संख्या 76 क्षेत्रफल 146.66 वर्गगज) पर श्री छोगाराम पुत्र श्री हनुमान राम ने आवेदन प्रस्तुत कर नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। जिसकी सीमाऐ निम्न प्रकार से है -
पूर्व में - 25 फीट चौड़ा रास्ता पश्चिम में - ओपन भूखण्ड
उत्तर में - रामेश्वर रेगर का आवासीय मकान दक्षिण में - श्रीमती सावित्री देवी यादव का मकान
अत: उक्त नाम हस्तान्तरण प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करे अन्यथा बाद मयाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। प्रभारी नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आंवटी/ अन्तरिति के मुक्त्यारआम द्वारा पंजीकृत करने पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की ग्राम नौसर योजना के आवासीय भूखण्ड सं. 14 क्षेत्रफल 200 वर्गगज के आवंटी श्री राजेन्द्र नरचल पुत्र श्री तिलकराज निवासी 74 हरिभाउ उपाध्याय नगर अजमेर से जरिये उनके मुक्त्यारआम पंजीकृत दिनांक 3/1/2023 को श्री ओमप्रकाश जांगिड पुत्र श्री मथुलाल जांगिड द्वारा निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 3/7/2024 द्वारा भूखण्ड नामान्तरण हेतु सुश्री उजाला जोशी पुत्री ऋषिकांत जोशी निवासी 1104/1 पीपल वाली गली शांतिपुरा वैशाली नगर अजमेर उक्त नामान्तरण किये जाने के सम्बंध में किसी को कोई आपति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें उक्त नियत अवधि के पश्चात् कोई आपति स्वीकार योग्य नहीं होगी यह आवेदकों के नाम नामान्तरण की कारवाई की जा सकेगी। योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगर पालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान

क्रमांक -न.प.बि/नामा./2024/406 **आम सूचना** दिनांक : 1.5.2024

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित मकान व प्लॉट गृहपंजिका में अन्तरण हेतु निम्न विरासत पत्रावली प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपति/उज्र हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपति प्रस्तुत कर सकते है, बाद मियाद, गुजरने पर कोई उज्र / आपति मान्य नहीं होगी।

नामान्तरण

फाइल नं.	आवेदन नाम	मूल आवंटी नाम	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का नाप	प्रयोजनार्थ
560	मोनिका मेहरात पत्नि नूर मोहम्मद	घीसालाल पुत्र कल्याण तातेड	इन्द्रा कॉलोनी बिजयनगर ब्लॉक नं. ई भू.सं. 89 का उत्तरी हिस्सा	111.11 SQ.YARD	आवासीय

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा राज.

क्रमांक/न.पा.गु./भूमि/2024/1104-06 दिनांक : 25/10/2022

लोक सूचना

(1) ओमप्रकाश पुत्र जगदीश (2) धर्मीचन्द पुत्र जगदीश (3) मधु पुत्री जगदीश निवासीगण गुलाबपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम	खसरा सं.	क्षेत्रफल
जिला भीलवाड़ा तहसील हुरड़ा	गुलाबपुरा - II	1004 का भाग, 1005 का भाग 1006 का भाग	कुल 0.4046 हैक्टर (4046.00 वर्गमीटर) आवासीय प्रयोजनार्थ

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक को जारी की गयी। प्राधिकारी अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय, नगर परिषद किशनगढ, अजमेर

क्रमांक/नपकि/प्रा.अ./कृ.भू.नि./2024/380 दिनांक : 01-10-24

लोक सूचना

आवेदक श्रीमती रश्मि बाफना पत्नी श्री राजेश बाफना निवासी बफाना भवन बालाजी बगीची के पीछे रूपनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल
किशनगढ़	टोंकडा	452/221	खसरा नम्बर 452/221 क्षेत्रफल 0.2801 हैक्टेयर यानि 2801.00 वर्गमीटर

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दोरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है ओर तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर एंव मुहर के अधीन आज .....को जारी की गयी। आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़।

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय, नगर परिषद किशनगढ, अजमेर

क्रमांक/नपकि/प्रा.अ./कृ.भू.नि./2024/385 दिनांक : 01-10-24

लोक सूचना

आवेदक श्रीमती निलम बरमेचा पत्नी राकेश बरमेचा निवासी ज्ञान विहार कॉलोनी अजमेर जिला अजमेर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल
किशनगढ़	टोंकडा	449/221	खसरा नम्बर 449/221 में क्षेत्रफल 0.3985 हैक्टेयर यानि 3985.00 वर्गमीटर

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दोरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है ओर तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर एंव मुहर के अधीन आज .....को जारी की गयी। आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़।

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय, नगर परिषद किशनगढ, अजमेर

क्रमांक/नपकि/प्रा.अ./कृ.भू.नि./2024/390 दिनांक : 01-10-24

लोक सूचना

आवेदक श्रीमती ज्योति सोमानी पत्नी श्री गजाधर सोमानी निवासी विराटनगर तहसील किशनगढ जिला अजमेर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल
किशनगढ़	टोंकडा	448/221	खसरा नम्बर 448/221 क्षेत्रफल 0.3992 हैक्टेयर यानि 3992.00 वर्गमीटर

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दोरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है ओर तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर एंव मुहर के अधीन आज .....को जारी की गयी। आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़।

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय, नगर परिषद किशनगढ, अजमेर

क्रमांक/नपकि/प्रा.अ./कृ.भू.नि./2024/394 दिनांक : 01-10-24

लोक सूचना

आवेदक अभिषा जैन पुत्री श्री दिनेश कुमार चौरडिया निवासी मरूधर केसरी कॉलोनी आर के लिंक तहसील किशनगढ जिला अजमेर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल
किशनगढ़	टोंकडा	450/221	खसरा नम्बर 450/221 क्षेत्रफल 0.3571 हैक्टेयर यानि 3571.00 वर्गमीटर

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दोरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत सम